न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डा0मधु खरे

सदस्य

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक 3364–तीन/2015 – विरूद्ध आदेश दिनांक 11.09.2015 – पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी,जैतहरी जिला अनूपपुर , मध्य प्रदेश – प्रकरण कमांक 01 अ–23/2014–15

1– अमरदीन पुत्र भुरवा राठौर
2– भीला राठौर पुत्र भुरवा राठौर
ग्राम कल्याणपुर तहसील जैतहरी
जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– स्वरूप सिंह पुत्र भोगसू गौड़
ग्राम कल्याणपुर तहसील जैतहरी
2– पंचराम 3– पप्पू पुत्रगण मथुरा राठौर
4– शिवकुमार पुत्र नत्थू राठौर
5– श्रीमती मोलिया पुत्री राममिलन राठौर
पत्नि अरूण राठौर
6– सुखीराम (मृतक) पुत्र सुखीराम राठौर

वारिस

बॅशू पुत्र सुखीराम राठौर सभी ग्राम बलबहरा
थाना व तहसील जैतहरी जिला अनूपपुर --- अनावेदकगण

(श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक – आवेदिका)

आ दे श

(दिनांक २४ दिसम्बर, 2015)

अनुविभागीय अधिकारी, जैतहरी जिला अनूपपुर द्वारा प्रकरण कमांक 01 अ–23/2014–15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11–9–15 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी दिनांक 10–08–2015 को प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम कल्याणपुर स्थित भूमि सर्वे नंबर 704 रकबा 2.75 एकड़ जिसके चंकबंदी के वाद सर्वे नंबर 377 रकबा 2.75 हैक्टर होना तथा उस पर आवेदकगण एंव अनावेदकगण भूमिस्वामी होकर मकान , कुआ, बाड़ी बनाकर रहना बताया गया है, इसी भूमि को अनावेदक स्वरूप सिंह पुत्र भोगसू गौड आदि ने उनके बाबा मुड़िया पुत्र नानसास गौड़ के नाम वर्ष 1958-59 में दर्ज होना बताते हुये कब्जा दिलाने की अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी से मांग की। अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी ने प्रकरण क्रमांक 01 अ-23/2014-15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की जिसमें आवेदकगण ने प्रकरण की प्रचलनशील पर आपत्ति दर्ज की जिसे अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी ने अंतरिम आदेश दिनांक 11-9-15 से अमान्य कर दिया एंव प्रकरण में आगे कार्यवाही जारी रखी। इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में वही दोहराया है जो उन्होंने निगरानी मेमो में अंकित किये है। आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी के प्रकरण क्रमांक 1 अ-23/ 2014-15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11-9-15 के अवलोकन से स्थिति यह है कि आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आपत्ति यह की है कि उक्तांकित भूमि उनके पूर्वज भूरा पुत्र देबिया एंव संपत पुत्र साधू राइौर ने 1940 के आसपास विकय से प्राप्त की है इसलिए स्वरूप सिंह पुत्र भोगसू गौड का दावा निरस्त कर दिया जावे। वस्तुस्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी ने अंतरिम

आदेश दिनांक 11-9-15 से आवेदकगण की प्रकरण की प्रचलनशीलता पर की गई आपत्ति अमान्य कर स्वरूप सिंह पुत्र भोगसू गौड के दावे के एंव आवेदकगण व्दारा स्वंय् के पूर्वजों की भूमि होना बताये जाने वावत् तथ्य की जांच एंव सुनवाई हेतु प्रकरण 11-9-15 से आगे की तिथि 9-10-15 को लगाया है एंव आवेदकगण इस न्यायालय में उक्त भूमि स्वयं् के पूर्वजों से प्राप्त होना बता रहे है जबकि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष इन तथ्यों को प्रमाण सहित प्रस्तुत करके अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं । आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में प्रमाण प्रस्तुत करने का अवसर होते हुये भी इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है जिससे यह प्रकट होता है कि आवेदकगण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष हो रही कार्यवाही को विलम्बित करना चाहते है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी, जैतहरी जिला अनूपपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 01 अ-23/2014-15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11-9-15 यथावत् रखते हुये निर्देश दिये जाते हैं कि वह पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये प्रकरण का निराकरण विधि में निहित प्रावधानों अनुसार करें।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर